संख्या-143/2019/154मंत्री/26-3-2019

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 13 जून 2019

विषयः-अतिपिछडे अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत संलग्नक विवरण के अनुसार धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-59/2019/1025/26-3-2019दिनांक-08.03.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अतिपिछडे अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत संलग्नक विवरण के अनुसार धनराशि रू0-9196.88 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0.623.36 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी करते हुये कार्यदायी संस्था उ0प्र0राज्य निर्माण श्रम विकास सहकारी संघ लि0 (यू0पी0सी0एल0डी0एफ0) को नामित किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-59/2019/1025/26-3-2019, दिनांक-08.03.2019 के संलग्नक के क्रम संख्या-22, 30, 31, 46, 47, 48, 49, 50 एवं 51 में स्वीकृत कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, लखनऊ (यू0पी0सी0एल0डी0एफ0) के स्थान पर यू0पी0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ, उक्त शासनादेश के संलग्नक के क्रम संख्या-45 में स्वीकृत कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, लखनऊ (यू0पी0सी0एल0डी0एफ0) के स्थान पर यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 एवं उक्त शासनादेश के क्रम संख्या-20 में स्वीकृत कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, लखनऊ (यू0पी0सी0एल0डी0एफ0) के स्थान पर उ0प्र0राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (यू0पी0आर0एन0एस0एस0) लखनऊ को नामित किया जाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय
सतीश कुमार
अनुसचिव।

पृ0संख्या-143/2019/154मंत्री(1)/26-3-2019 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1.महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2.सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
3.निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।
4.मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5.वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण निदेशालय, उ0प्र0लखनऊ।
6.प्रबन्धनिदेशक,उ0प्र0राज्य निर्माण श्रम विकास सहकारी संघ लि0 (यू0पी0सी0एल0डी0एफ0)
7.प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
8.प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
9.प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (यू0पी0आर0एन0एस0एस0)।
10.सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
11.वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
12.समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/ कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।
13.गार्डफाइल।

आज्ञा से
सतीश कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।